

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: इम्यू./निय.टी.सु./2014/356

दिनांक 27/03/14


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी

विषय:- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सोशल मोबिलाईजेशन हेतु आशाओं को देय भुगतान के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक-एन.आर.एच.एम., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा. पत्रांक P.17018/14/13-NRHM-IV दिनांक 3 जनवरी, 2014 के द्वारा निर्देशित किया है कि आशाओं के द्वारा एमसीएचएन सत्रों पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए लाने तथा इन सत्रों में उपस्थित रहने पर (सोशल मोबिलाईजेशन) आशाओं को देय राशि 150/- रुपये प्रति सत्र से बढ़ाकर 200/- की गई है।


अतः अब आयोजित होने वाले एमसीएचएन सत्रों में आशाओं द्वारा किये जाने वाले सोशल मोबिलाईजेशन हेतु एवं उपस्थित रहने के लिए राशि 150/- रुपये प्रति सत्र के स्थान पर राशि 200/- रुपये के अनुसार भुगतान किया जावेगा। आशा के अतिरिक्त अन्य सोशल मोबिलाईजर को पूर्व की भांति 150/- रुपये प्रति सत्र ही भुगतान देय होगा।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।


निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक-एन.आर.एच.एम., भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110 011
2. उपायुक्त (इम्यू.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110 011
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक-एन.एच.एम., मुख्यालय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक-एन.एच.एम., राजस्थान
6. निदेशक (वित्त)-एन.आर.एच.एम., मुख्यालय
7. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय


निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर